

## लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति महोदय,

- 1 हमने ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के 31 मार्च, 2009 को समाप्त बैंक के संलग्न तुलनपत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे एवं नकद प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिनमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1206 शाखाओं तथा लेखापरीक्षा न की जाने वाली 175 शाखाओं की विवरणियों और दुबई में एक प्रतिनिधि कार्यालय को सम्मिलित किया गया है। ऐसी अलेखापरीक्षित शाखाओं के 3.67 प्रतिशत अग्रिम, 0.91 प्रतिशत जमाराशियां 2.83 प्रतिशत ब्याज आय तथा 0.54 प्रतिशत ब्याज व्यय है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। ये वित्तीय विवरणियां बैंक के प्रबन्ध वर्ग की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर अपने अभिमत प्रकट करना है।
- 2 हमने भारत में सामान्यतया मान्य लेखापरीक्षा-मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित था कि इस लेखापरीक्षा की कार्ययोजना इस प्रकार बनाई जाए तथा उसे कार्यान्वित किया जाए कि यह सम्यक् रूप से सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई महत्वपूर्ण सूचना गलत न हो। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणियों में राशि और सूचना प्रकटीकरण की पुष्टि में दिए गए साक्ष्यों की, परीक्षण आधार पर, जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा हेतु प्रयोग में लाए गए लेखांकन सिद्धांतों तथा सकल वित्तीय विवरणी के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के पर्याप्त अनुरूप है।
- 3 तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए गए क्रमशः फार्मेट 'क' और 'ख' में तैयार किए गए हैं।
- 4 अपने मत को व्यक्त किए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान दिलाते हैं :
  - क) पिछले वर्ष के 147 करोड़ रुपए के आयकर के पुनरांकन से संबंधित अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 5.
  - ख) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 के अंतर्गत भारत सरकार के पास बैंक द्वारा दाखिल किये गये दावे से संबंधित अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 12 (च).
  - ग) वेतन संशोधन के लिए किए गए 110 करोड़ रुपए के तदर्थ प्रावधान से संबंधित अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 17.
  - घ) अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 19 पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की सहज वसूली अयोग्य अग्रिमों और सहज वसूली अयोग्य आस्तियों को बैंक की आस्तियों के भाग के रूप में शामिल किये जाने से संबंधित है, जिन्हें अन्यथा समामेलन योजना के अनुसार वसूली आधार पर लिया जाना अपेक्षित था।

## AUDITORS' REPORT

To,  
The President Of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of Oriental Bank of Commerce as at March 31, 2009, and also the Profit and Loss account and the Cash Flow statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 branches audited by us, 1206 branches audited by other auditors and 175 branches and a representative office at Dubai not subjected to audit. These unaudited branches account for 3.67 per cent of advances, 0.91 per cent of deposits, 2.83 per cent of interest income and 0.54 per cent of interest expense. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. These financial statements are the responsibility of the bank's management. Our responsibility is to express our opinion based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. The Balance Sheet and the Profit and Loss account have been drawn up in forms "A" & "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
4. Without qualifying our opinion attention is invited to
  - a) Note no. 5 of Schedule 18 regarding write back of income tax of Rs. 147 crores pertaining to previous year.
  - b) Note no. 12(f) of schedule 18 regarding the claim lodged by the bank with Government of India under Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008.
  - c) Note no. 17 of schedule 18 regarding adhoc provision of Rs.110 crore made on account of wage revision.
  - d) Note no. 19 of schedule 18 regarding inclusion of not readily realisable advances and not readily realisable assets pertaining to erstwhile global trust bank as part of the assets of the bank, which was otherwise required to be taken on collection basis as per the scheme of amalgamation.



5. **बहियों का मिलान, कुछेक खातों में बकाया प्रविष्टियों की पुष्टि/समाधान और निपटान का प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन न किए जा सकने के कारण उसे हिसाब में नहीं लिया गया। (अनुसूची 18 की टिप्पणी सं० 6 देखें)**
5. **The impact, if any, on account of balancing of books, confirmation/ reconciliation and clearance of outstanding entries in certain accounts is not accounted for as the same is not ascertainable (refer note no.6 of schedule 18).**
6. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 द्वारा यथापेक्षित और इसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधधीन और उक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के तहत और उक्त पैराग्राफ 5 में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधधीन, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :
6. As required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and subject to the limitations of disclosure required therein and the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and further subject to our observations in paragraph 5 above, we further report that:
- i) हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि बैंक की लेखा पुस्तकों से दिखाया गया है
- i) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the bank :
- क) महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियों व लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र एक पूर्ण एवं सही तुलन-पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2009 तक के बैंक के कार्यों का सही-सही चित्र सामने आ सके।
- a) The Balance Sheet read with Significant Accounting Policies and Notes to Accounts is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the bank as at 31<sup>st</sup> March, 2009.
- ख) महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियों व लेखा टिप्पणियों के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लाभ का वास्तविक शेष दर्शाता है, तथा
- b) The Profit and Loss account read with Significant Accounting Policies and Notes to Accounts shows a true balance of the Profit for the year ended 31<sup>st</sup> march, 2009, and
- ग) नकद प्रवाह विवरणी इस तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह का सही एवं सत्य चित्र दर्शाती है।
- c) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.
- ii) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विष्वास के अनुसार वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ii) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
- iii) बैंक के जो कारोबार हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं।
- iii) The transactions of the bank, which have come to our notice, have been within the powers of the bank.
- iv) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ सामान्यतः समुचित पाया गया है और जहां विवरणियों में प्राप्त विवरण अपूर्ण/अपर्याप्त थे हमने प्रबंध वर्ग द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण पर विष्वास किया है।
- iv) The returns received from the offices and branches of the bank have generally been found adequate for the purposes of our audit and where the particulars in the returns received were incomplete/ inadequate, we have relied upon the information and explanations furnished by the management.

कृते उमामहेश्वरा राव एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार

(आर. आर. दक्षिणामूर्ति)  
भागीदार (स.सं. 211639)

कृते सुरेश चंद्र एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

(मधुर गुप्ता)  
भागीदार (स.सं. 090205)

कृते फारुकी एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार

(एस. एम. वाई. कुरेशी)  
भागीदार (स.सं. 081750)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27 अप्रैल, 2009

कृते हिंगोरानी एम. एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार

(संजय कुमार नारंग)  
भागीदार (स.सं. 090943)

कृते पी.बी. विजयाराघवन एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार

(पी.बी. संधानाकृष्णन)  
भागीदार (स.सं. 020309)

कृते वी. कृष्णन एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार

(वी. कृष्णन)  
भागीदार (स.सं. 010949)

**For Umamaheswara Rao & Co.**  
Chartered Accountants

(R.R. Dakshina Murthy)  
Partner (M. No.: 211639)

**For Suresh Chandra & Associates**  
Chartered Accountants

(Madhur Gupta)  
Partner (M. No.: 090205)

**For Faruqui & Company**  
Chartered Accountants

(S. M. Y. Qureshi)  
Partner (M.No: 081750)

**Place : New Delhi**

**Date : April 27, 2009.**

**For Hingorani M & Co.**  
Chartered Accountants

(Sanjay Kumar Narang)  
Partner (M. No.: 090943)

**For P.B. Vijayaraghavan & Co.**  
Chartered Accountants

(P.B.Santhanakrishnan)  
Partner (M. No.: 020309)

**For V Krishnan & Co.**  
Chartered Accountants

(V. Krishnan)  
Partner (M. No.: 010949)